

सेवामें,

श्रीमान उप वन संरक्षक,
सीकर

दिनांक:.....

(Online Proposal No. FP/RJ/Approach/148278/2021)

विषय :- Compliance Report of Diversion of **0.1649** hectare forest land for Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet, KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District - Sikar (Rajasthan)

संदर्भ :- राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक प. 1 (5) वन/2023 जयपुर दिनांक 28.02.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के पक्ष में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति **बिना किसी वृक्ष के पातन सहित** बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र. सं.	शर्त	पालना
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator is land) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

(सुधांशु अरोड़ा / Sudhanshu Arora)
मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पि. प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम तल, एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेज-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302008
Near Ambekar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302008

10.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति संलग्न है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा की जायेगी।	यूजर एजेन्सी द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। विवरण नियमानुसार है:- राशि. रू. 1,49,585/- UTR NO. PUNBR52023031012382158 छाया प्रतिलिपि संलग्न है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा जमा करायी जावेगी। जिसके उपरांत ई-चालन की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा निम्नानुसार NPV की धनराशि कैम्पा फण्ड में जरिये ई-चालान जमा करायी गयी है। विवरण नियमानुसार है:- राशि. रू. 1,57,938/- UTR NO. PUNBR52023031012382158 छाया प्रतिलिपि संलग्न है।
14.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्ण सहमति है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
15.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
16.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतियां संलग्न है।

Place:

Name:

Office Seal & Signature
(सुधीर अरोरा) / Chief Manager (Retail Sales)
Designation:
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, लिमिटेड (लि:प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम, प्लॉक, एम्बेडकर रोड, जयपुर-302005
First Floor US Investment Building, 7 of 11 P-Block-II
अम्बेडकर मार्केट के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005



राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (5) वन/2023

जयपुर, दिनांक:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:-Diversion of 0.1649 ha. for Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338-923 to 338+958 on NH- 52(old NH1-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546 / 157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District - Sikar (Rajasthan). (Proposal No. FP/RJ/Approch/148278/2021)

संदर्भ:-आपका पत्रांक एफ 14 (535/47)2021/एफसीए/प्रमुवस/4488 दिनांक 13.01.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 के अन्तर्गत ग्राम मालखे डा, तहसील सीकर जिला सीकर के नये खसरा नम्बर 546/157 एवं 632/544 (पुराना खसरा 544/157 एवं 546/157) के 341 Chainage No. - 338-923 to 338+958 on NH- 52(old NH-11) हेतु प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.1649 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारो परान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1649 ha. for Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338-923 to 338+958 on NH- 52(old NH1-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546 / 157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District - Sikar (Rajasthan). (Proposal No. FP/RJ/Approch/148278/2021) की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।

Digitally signed by Mohali Sen

Designation : Deputy Conservator

Forest, Office, Forest Deptt, Rajasthan, Jaipur,

Date: 2023.02.28 16:39:26 IST

Reason: Approved

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तरी मंत्रालय भवन, साँतल, राजस्थान जयपुर,

दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref No. : 3274112




सुधंशु अरोड़ा / Sudhanshu Arora)
जुआ प्रबन्धक (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Sales)
इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (प.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर नोडल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम मंज एन.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग फेज-11
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

10. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदो परांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
14. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
15. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

**(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी-ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, जयपुर।
6. उप वन संरक्षक, सीकर ।
7. Manager Retail sales, JAIPUR DIVISIONAL OFFICE 1st FLOOR INVESTMENT BUILDING PHASE-11, NEAR AMBEDKAR CIRCLE BHAWANI SINGH ROAD, JAIPUR
8. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified विशेषाधिकारी, वन

Digitally signed by **Monali Sen**
Designation : **Deputy Conservator**

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उल्हास नगर, जयपुर, राजस्थान

दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail-ID ads.forest@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref No. : 3274112

Date: 2023-02-28 16:39:36 IST
Reason: Approved



सुधंशु अरोड़ा / Sudhanshu Arora
मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) / Chief Manager Retail Sales
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम तल, एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेज-11
First Floor, LIC Investment Building, Phase-11
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302004
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302004



राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड़, सीकर-332001, Ph. No. 01572-274094, email : dcf.sikar.forest@rajasthan.gov.in, dcfsikar@gmail.com)

क्रमांक : एफ () एफसीए / उवसंसी / 2022-23 / 2011

दिनांक: 03/03/23

निमित्त:-

MANAGER RETAILS SALES,
JAIPUR DIVISIONAL OFFICE 1st FLOOR INVESTMENT BUILDING,
PHASE-11, NEAR AMBEDKAR CIRCLE,
BHAWANI SINGH ROAD, JAIPUR

विषय:- Construction of approach access for Indian Oil Corporation Limited Retail outlet
KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No.-338+923 to 338+958 on NH-52
(Old NH-11) RHS: While going from Jaipur to Bikaner in new Khasra No.
546/157 & 632/544 (Old Khasra No. 544/157 & 546/157) at Village-Malkeda,
Tehsil & District- Sikar (Rajasthan)
(Proposal no. **FP/RJ/APPROACH/148278/2022**)

संदर्भ:- राजस्थान सरकार, वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प.1(5)वन/2023 जयपुर
दिनांक 28.02.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि आलौच्य प्रकरण में राजस्थान सरकार, वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प.1(5)वन/2023 जयपुर दिनांक 28.02.2023 द्वारा 0.1649 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धांतिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन के प्रदान की गई है। अतः राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना कर पालना रिपोर्ट निम्नानुसार अविलम्ब भिजवावें :-

1. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या 09 की पालना में जिला कलक्टर द्वारा जारी एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र एवं सम्पूर्ण बैठक कार्यवाही विवरण पालना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या 10 की पालना में प्रदुषण नियंत्रण मंडल द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र पालना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या 12 की पालना में 0.50 है० वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) एवं 10 वर्ष तक रखरखाव हेतु निम्नानुसार राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करावें :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि रू 1,49,585/- (In Words One lakh Fourty Nine thousand Five hundred Eighty Five rupees only)
4. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या 13 की पालना में एनपीवी राशि 0.1649 ha. x 9.5778 lac per ha. = 1,57,938 /- (In Words One Fifty Seven thousand Nine hundred Thirty eight rupees only) राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करावें।
5. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या 16 की पालना में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में प्रकरण में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्रों की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या 12 व 13 की पालना में कुल राशि = 3,07,523 / -- (In Words Three lakh Seven thousand Five hundred Twenty Three rupees only) कैम्पा फण्ड में जरिये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करावे।

अतः शर्त संख्या 1 से 8 एवं 11, 14 व 15 में उल्लेखित बिन्दुओं के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 28.02.2023 (प्रति संलग्न) में अधिरोपित शर्तों की पालना रिपोर्ट मय अंडरटैकिंग 04 प्रतियों एवं शर्त संख्या 12 व 13 की पालना में नियमानुसार जमा की जाने वाली राशि स्टेट कैम्पा के निर्धारित मद में ई-चालान द्वारा ऑनलाईन जमा करवाकर चालान की प्रति यू.टी.आर. संख्या के साथ उपलब्ध करावें ताकि आप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/पालना/वचनबद्धता अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सकें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)

उप वन संरक्षक,

सीकर

दिनांक:-

क्रमांक एफ सम/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।
3. सहायक वन संरक्षक, सीकर/क्षेत्रीय वन अधिकारी, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि आलौच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी प्रकार का गैरवानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं हो, यह सुनिश्चित करें।

(वीरेन्द्र सिंह कृष्णियां)

उप वन संरक्षक,






सीकर

(सुधांशु अरोड़ा / Sudhanshu Arora)
मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल्स) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (दि प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.O.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम तल एन.ए.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग फेज-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास भवानी सिंह रोड, जयपुर-362005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-362005

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help




Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of Invoice PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	<p>FP/RJ/Approach/148278/2021 (./viewreport.aspx?pid=FP/RJ/Approach/148278/2021)</p> <p>Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet, KM Stone 338 to KM Stone 341, Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village- Malkeda, Tehsil & District - Sikar (Rajasthan)</p>	APPROACH14827820216187014827861828	7014827861828	28 Feb 2023	CA: 1,49585/- Addl CA : 0/- PCA: 0/- CAT : 0/- Zone: 0/- Addl PA : 0/- NPV: 157938/- Other Charges : 0/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total : 307523/-	<input checked="" type="checkbox"/> Field	Fund Demand Verified by :08 Mar 2023 Nodal Officer Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Date :09 Mar 2023 Transaction Date :10 Mar 2023	Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/040320230735048274_FPR)Approach1482782021_User_Fund_Demanded_44W69.pr Generated Challan (./UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=APPROACH1482782021618)









[\(HTTPS://WWW.INDIA.GOV.IN/\)](https://www.india.gov.in/)
[\(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/\)](https://www.mygov.in/)
[\(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/\)](https://swachhbharat.mycgov.in/)
[\(HTTPS://DATA.GOV.IN/\)](https://data.gov.in/)
[\(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/\)](http://www.pmindia.gov.in/en/)
[\(HTTP://WWW.MEITY.GOV.IN/\)](http://www.meity.gov.in/)
[\(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN\)](http://www.environment.gov.in/)
[\(WWW.PRIVACY.POLICY.ASPX\)](http://www.privacy.gov.in/)
[\(WWW.ACCESSIBLESTATEMENT.ASPX\)](http://www.accessiblestatement.gov.in/)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-tc(at)nic(dot)in
 For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-tc(at)nic(dot)in
 For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-tc(at)nic(dot)in
 For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-tc(at)nic(dot)in

https://www.india.gov.in/useraccount/Payment_history.aspx

AGENCY COPY	
  	
NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds	
Date : 09-03-2023	
Agency Name.	Indian Oil Corporation Limited
Application No.	70148278618
MoEF/SG File No.	1(5)FOREST/2023
Location.	RAJASTHAN
Address.	MARKETING DIVISION- JAIPUR DIVISIONAL OFFICE 1st FLOOR, INVESTMENT BUILDING PHASE-II, NEAR AMBEDKAR CIRCLE, BHAWANI SINGH ROAD, JAIPUR Jaipur
Amount(in Rs)	307523/-
Amount in Words :Three Lakh Seven Thousand Five Hundred and Twenty-Three Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508570148278618 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027
<ul style="list-style-type: none"> This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only 	

BANK COPY	
  	
NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds	
Date : 09-03-2023	
Agency Name.	Indian Oil Corporation Limited
Application No.	70148278618
MoEF/SG File No.	1(5)FOREST/2023
Location.	RAJASTHAN
Address:	MARKETING DIVISION- JAIPUR DIVISIONAL OFFICE 1st FLOOR, INVESTMENT BUILDING PHASE-II, NEAR AMBEDKAR CIRCLE, BHAWANI SINGH ROAD, JAIPUR Jaipur
Amount(in Rs)	307523/-
Amount in Words :Three Lakh Seven Thousand Five Hundred and Twenty-Three Rupees Only	
NEFT/RTGS to be made as per following details;	
Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1508570148278618 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027
<ul style="list-style-type: none"> This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only 	

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR NO.PUNBR52023031012382158


 (सुधांशु अरोड़ा / Sudhanshu Arora)
 मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल्स) / Chief Manager (Retail Sales)
 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
 Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
 जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
 प्रथम तल एल आई सी इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेस-II
 First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
 अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
 Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

Condition No. 01

Full title of the Project: "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District – Sikar (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/148278/2021

Date of Proposal : 13.10.2021

Proposed Diversion Area: 0.1649Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda , Tehsil & District – Sikar (Rajasthan)" के दौरान वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

Name: (सुधांशु अरोड़ा / Sudhanshu Arora)
Office Seal & Signature: (सुधांशु अरोड़ा / Chief Manager (Retail Sales)
Designation: Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
पहला मंजूर एम.ए.सी. इन्फ्रस्ट्रक्चर बिल्डिंग फेज-II
First Floor, एम.ए.सी. इन्फ्रस्ट्रक्चर बिल्डिंग, फेज-II
अम्बेडकर रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Crce, Bhawara Singh Road, Jaipur-302005

Condition No. 02

Full title of the Project: "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District – Sikar (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/148278/2021

Date of Proposal : 13.10.2021

Proposed Diversion Area: 0.1649Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda , Tehsil & District – Sikar (Rajasthan)" के दौरान प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

Name: 
Office Seal & Signature: (Sudhanshu Arora / Sudhanshu Arora)
Designation: Manager (Retail Sales)
पुष्प इंधन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पि.प्र.)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्लॉट नं. एल.ए.डी.सी. इन्फोस्टैटस बिल्डिंग फेज-II
First Floor, Plot No. E.L.A.D.S.I. Infostats Building, Phase-II
अम्बेडकर साकल / Near Ambedkar Circle, Bhanwani Singh Road, Jaipur-302005

Full title of the Project: "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District - Sikar (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/148278/2021

Date of Proposal : 13.10.2021

Proposed Diversion Area: 0.1649Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District – Sikar (Rajasthan)" के दौरान याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

Name: सुधंशु अरोड़ा / Sudhanshu Arora
Office Seal & Signature: Manager (Retail Sales)
Designation: Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम तल, एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेज-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

Condition No. 04

Full title of the Project: "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District – Sikar (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/148278/2021

Date of Proposal : 13.10.2021

Proposed Diversion Area: 0.1649Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda , Tehsil & District – Sikar (Rajasthan)" के दौरान प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगें। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

Name: 
Office Seal & Signature: 
Designation: Chief Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
Regional Office
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

Condition No. 05

Full title of the Project: "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District – Sikar (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/148278/2021

Date of Proposal : 13.10.2021

Proposed Diversion Area: 0.1649Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda , Tehsil & District – Sikar (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

Name: सुधीश अरोड़ा / Sudhanshu Arora
Office Seal & Signature: Chief Manager (Retail Sales)
Designation: Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय, जयपुर विभागीय कार्यालय, Phase-II
First Floor, LIC Bldg, आंबेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

Condition No. 06

Full title of the Project: "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District – Sikar (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/148278/2021

Date of Proposal : 13.10.2021

Proposed Diversion Area: 0.1649Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर** द्वारा "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda , Tehsil & District – Sikar (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

Name: 
Sudhanshu Arora / Sudhanshu Arora
Chief Manager (Retail Sales)
Office Seal & Signature
Designation: Indian Oil Corporation Limited (M.O.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
पहला मंजूर एम्बेडकर गार्ड रोड बिल्डिंग फेज-II
First Floor, Near Ambedkar G. Rd, Jaipur-302005
जयपुर-302005
Near Ambedkar G. Rd, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

Condition No. 07

Full title of the Project: "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District – Sikar (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/148278/2021

Date of Proposal : 13.10.2021

Proposed Diversion Area: 0.1649Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda , Tehsil & District – Sikar (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

Name: सुधंशु अरोड़ा / Sudhanshu Arora
Office Seal & Signature: Regional Manager (Retail Sales)
Designation: Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय, जयपुर, Divisional Office
302005 फ्लोर, एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग फेज-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

Full title of the Project: "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District - Sikar (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/148278/2021

Date of Proposal : 13.10.2021

Proposed Diversion Area: 0.1649Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर** द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator is land) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur


Name: सुधंशु अरोड़ा / Sudhanshu Arora
Office Seal & Signature: Chief Manager (Retail Sales)
Designation: Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
Jaipur Divisional Office
अम्बेडकर सर्किल के पास, मंडल - जयपुर, फेस-II
First Floor, LC II
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

Condition No.9

Full title of the Project: "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District - Sikar (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/148278/2021

Date of Proposal : 13.10.2021

Proposed Diversion Area: 0.1649Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District - Sikar (Rajasthan)" हेतु जिला कलक्टर द्वारा जारी एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र एवं सम्पूर्ण बैठक कार्यवाही विवरण पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न कर प्रस्तुत है। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

Name: सुधंशु अरोड़ा / Sudhanshu Arora)
Office Seal & Signature: Chief Manager (Retail Sales)
Designation: Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
Jaipur Divisional Office
First Floor, KNC Tower
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

Full title of the Project: "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District – Sikar (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/148278/2021

Date of Proposal : 13.10.2021

Proposed Diversion Area: 0.1649Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda , Tehsil & District – Sikar (Rajasthan)" हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति संलग्न है। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।

Place: Jaipur

Name: Sudhanshu Arora
(सुधांशु अरोरा) / Chief Manager (Retail Sales)
Office Seal & Signature:
Designation: Indian Oil Corporation Limited (I.O.C.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम तल, एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेस-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्कल के पास मयानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle Bh. wani Singh Road, Jaipur-302005

Condition No.11

Full title of the Project: "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District – Sikar (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/148278/2021

Date of Proposal : 13.10.2021

Proposed Diversion Area: 0.1649Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर** द्वारा "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda , Tehsil & District – Sikar (Rajasthan)" के दौरान वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

(सुधांशु अरोड़ा) / Sudhanshu Arora
मुख्य प्रबन्धक (वि.प्र.) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.P.)
जयपुर क्षेत्राधिकार / Jaipur Divisional Office
पहला मंजूर / Phase-I
पहला मंजूर / Phase-II
जयपुर-302005
Near Ambedkar Lalpur, Jaipur-302005

Condition No.12

Full title of the Project: "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District – Sikar (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/148278/2021

Date of Proposal : 13.10.2021

Proposed Diversion Area: 0.1649Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda , Tehsil & District – Sikar (Rajasthan)" के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा राशि रु. 1,49,585/—(अक्षरे एक लाख उन्नचास हजार पाँच सौ पिचासी रूपये मात्र) UTR. NO. PUNBR52023031012382158 द्वारा कैम्पा फण्ड में जमा करा दी गई है, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

(सुधांशु) Name: Sudhanshu Arora
मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Office Seal & Signature
Indian Oil Corporation Limited
Designation: Jaipur Divisional Office
प्राथमिक भवन, जयपुर, फेज-II
First Floor, Jaipur-302005
अम्बेडकर रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhanwar Singh Road, Jaipur-302005

Full title of the Project: "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District - Sikar (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/148278/2021

Date of Proposal : 13.10.2021

Proposed Diversion Area: 0.1649Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर** द्वारा वचन दिया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.बी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालन द्वारा राशि. **रु. 1,57,938/- (अक्षरे एक लाख सतावन हजार नौ सौ अड़तीस रूपये मात्र)** **UTR. NO. PUNBR52023031012382158** कैम्पा फण्ड नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

Name: 
(सुधंशु अरोड़ा / Sudhanshu Arora)
Office Seal & Signature:
मुख्य अधिकारी (अ.प्र.)/अ.प्र. (Retail Sales)
इ.प्र. (अ.प्र.)/अ.प्र. (Retail Sales)
Designation: Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम तल, एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेस-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

Full title of the Project: "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District - Sikar (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/148278/2021

Date of Proposal : 13.10.2021

Proposed Diversion Area: 0.1649Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि **इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर** द्वारा वचन दिया जाता है कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

Name: 
(सुधनु अरोरा)
Office Seal & Signature
मुख्य प्रबंध निदेशक (रेटेल सेल्स) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम तल, एल.आई.सी. इन्व्स्टमेंट बिल्डिंग, फेस-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

Full title of the Project: "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District – Sikar (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/148278/2021

Date of Proposal : 13.10.2021

Proposed Diversion Area: 0.1649Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

Name: 
Office Seal & Signature
Designation: (मुख्य विक्रेता / Chief Sales)
मुख्य विक्रेता / Chief Sales
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर भण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम तल. एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेज- II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

Condition No. 16

Full title of the Project: "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District – Sikar (Rajasthan)"

Proposal No : FP/RJ/Approach/148278/2021

Date of Proposal : 13.10.2021

Proposed Diversion Area: 0.1649Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि "Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet ,KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338+923 to 338+958 on NH-52(old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District–Sikar (Rajasthan)" हेतु जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

(सुधांशु अरोरा)
मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (प्र.)
India Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम मंजूर एक आई सी इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, फेस-II
First Floor, IIC Building, Phase-II
अम्बेडकर मार्ग, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bypass Road, Jaipur-302005

FORM-I

(For Linear Projects other than Plantations)

[Rule 6(3) (e) of Forest (conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Rajasthan

Office of the District collector, Sikar

Sr. No.....241

Date...3.7.23

TO WHOM SO EVER IT. MAY CONCERN

In compliance of the rule 6 (3) (e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (conservation) second amendment rules 2014; and forest (conservation) Amendment rules 2016] it is certified that 0.1649 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Sr. Manager (Retail Sales), Indian Oil Corporation Limited, Jaipur for construction of approach access for proposed retail outlet on Jaipur to Bikaner Road NH-11(New NH-52) at chainage No. 338+923 to 338+958 on Khasra No. 546/157 & 632/544 (Old Khasra No. 544/157 & 546/157) falls within the jurisdiction of village-Malkeda, Khasra No- 212 & 545/157 in Tehsil- Sikar, District-Sikar. It is further certified that:

- The complete process of recognition and vesting of forest rights under the FRA has been carried out for the entire 0.1649 Hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as attachment 01 to attachment 15
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA, 2006 has been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- The proposed area does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl.: As above

RajKaj Ref No. : 4168322



(Dr. Amit Yadav)

District Collector, Sikar
Signature valid

Digitally signed by Amit Yadav
Designation: Collector & District
Magistrate

Date: 2023.07.03 10:07:36 IST

Reason: Approved

(सुधांशु अरोड़ा / Sudhanshu Arora)
मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
पथ: नल एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेस-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

:- कार्यालय जिला कलक्टर सीकर :-

एफ.आर.ए. की बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 22.06.2023 को प्रातः 10.00 बजे वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 में वर्णित जिला स्तरीय समिति के कर्तव्यों का वर्णन एवं विश्लेषण करने हेतु श्रीमान डॉ. अमित यादव, जिला कलक्टर, सीकर की अध्यक्षता में मिटिंग आयोजित की गई जिसमें निम्न एजेण्डों पर विचार विमर्श किया गया :-

क्र.स.	प्रकरण का नाम	क्षेत्रफल	संबंधित संस्था
1.	Construction of BT Road From Dokan to Jilo In Forest Block Dokan P.F. Range-Patan, Village-Kala Kotha & Bhitaro, Tehsil-Patan, district-sikar के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/408196/2022	2.3055 हेक्टेयर	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर
2.	Construction of APPROACH ACCESS FOR INDIAN OIL CORPORATION LIMITED RETAIL OUTLET, KM STONE 338 TO KM STONE 341 CHAINAGE NO-338+923 TO 338+958 ON NH-52 (OLD-NH-11) RHS: WHILE GOING FROM JAIPUR TO BIKANER IN NEW KHASRA NO.546/157 & 632/544 (OLD KHASRA 544/157 & 546/157) (RAJASTHAN) AT vilage-MALKEDA, Tehsil & DISTRICT -Sikar के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/APPROACH/148278/2021	0.1649 हेक्टेयर	श्री जितेन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक, इण्डियन ऑयल लिमिटेड जयपुर
3.	Construction of BT Road Mahava to Nake Wala Balaji in dokan P.F vilage-Mahava range patan Tehsil-Neenkathana, district-sikar के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/405588/2022	1.1880 हेक्टेयर	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर
4.	Construction of Missing Link BT Road From Nyorana to Kesar Ki Dhani In Forest Block Patan P.F. & Dokan P.F. Range-Patan, Village-Patan & Dokan, Tehsil-Patan, District-Sikar (Raj.) के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/409236/2022	1.5360 हेक्टेयर	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर
5.	Construction of Road Athbigha to Pipli ki Dhani, Sundardas ji, up to Salwadi (khandela) In Salwadi P.F, Village -Salwadi, Tehsil - Khandela, Range - Shri Madhopur, District-Sikar (Raj.) के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/411184 /2022	0.9810 हेक्टेयर	अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर
6.	Construction of 765 KV D/C Sikar-II Aligarh Transmission Line, DISTRICT-Sikar, Jaipur and Alwar (Rajasthan) IN RAJASTHAN PORTION AP-01 TO AP-180 Common POINT Rajasthan State Boundary के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/144853/2021	0.2278 हेक्टेयर	श्री कंचन कुमार चौधरी, वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-II अलौगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड
7.	Construction of Approach ACCESS For Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52 LHS) At Chainage NO-409 + 072.70 TO 409+107.70 ON OLD Khasara NO. 42 & NEW KHASRA NO.313/312. AT VILAGE-ROHAL, TEHSIL-RAMGARH SHEKHAWATI, DISTRICT- SIKAR के प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Approach/156636/2022	0.1695 हेक्टेयर	प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरा) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर

बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहे :-

- डॉ. अमित यादव, जिला कलक्टर, सीकर।
- श्री राकेश कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर।
- श्री भवानी सिंह, उप वन संरक्षक, सीकर।
- श्री महेन्द्र प्रसाद, (SC) जिला परिषद सदस्य, मुण्डो आसपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
- श्री सन्तोष कुमार शीणा, (ST) जिला परिषद सदस्य, वार्ड नम्बर 03 मु.पो. दशैबा तह. नीमकाथाना जिला सीकर।
- श्रीमती वीना वर्मा, (SC) जिला परिषद सदस्य, मु० खैरवा की ढाणी पो० झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

-(1) बैठक में अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर के द्वारा Construction of BT Road From Dokan to Jilo In Forest Block Dokan P.F. Range-Patan, Village-Kala Kotha & Bhitaro, Tehsil-Patan, district-sikar स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य डोकन से जीलो तक बीटी रोड के निर्माण कार्य हेतु सड़क नीमका आने वाली सड़क वन क्षेत्र में आने वाली भूमि सड़क निर्माण कार्य में आ रही है।

Sudhanshu Arora
मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल्स) / Chief Executive (Retail Sales)
इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम तल, एल.आई.सी. इन्व्हेस्टमेंट बिल्डिंग, फेस-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

जीलो पटवार हल्का जीलों के खसरा नं. 13, 14, 15, 90, एवं पटवार हल्का डोकन के खसरा नं. 145, 139, 133, 132, 135, 126, 149 के रकबा 178.76 हे० में से 2.3055 हेक्टेयर तहसील पाटन जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/408196/2022 दिनांक 27.11.2022 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 2.3055 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन हेतु पत्रावली प्रस्तुत की गई हैं। ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में अनुमोदन प्राप्त होने पर एवं उपखण्ड स्तरिय कमेटी में जारी प्रमाण पत्र के अनुसार जारी करने हेतु वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 मे वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व वन भूमि पर प्रारम्भिक कृषक समुदायों के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(2) श्री जितेन्द्र कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक, इण्डियन ऑयल लिमिटेड जयपुर के द्वारा "Construction of APPROACH ACCESS FOR INDIAN OIL CORPORATION LIMITED RETAIL OUTLET, -KM STONE 338 TO KM STONE 341 CHAINAGE NO-338+923 TO 338+958 ON NH-52 (OLD-NH-11) RHS: WHILE GOING FROM JAIPUR TO BIKANER IN NEW KHASRA NO.548/157 & 632/544 (OLD KHASRA 544/157 & 546/157) (RAJASTHAN) AT village-MALKEDA, Tehsil & DISTRICT -Sikar" जिसका वरिष्ठ प्रबंधक, इण्डियन ऑयल लिमिटेड जयपुर के द्वारा, निर्माण किया जाना प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प व सड़क के मध्य आने वाली रक्षित वन भूमि की भूमि के सड़क निर्माण कार्य में आ रही ग्राम मलकेड़ा के राजस्व ग्राम मलकेड़ा की वन भूमि क्षेत्रफल व खसरा नं. 212 रकबा 4.84 हे० - 545/157 रकबा 0.0546 कुल रकबा 4.8946 में से 0.1649 हे० वन भूमि के राजस्व ग्राम ग्राम मलकेड़ा तहसील व जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/APPROACH/148278/2021 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 0.1649 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को प्रस्तुत की गई हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व किसी का हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(3) अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर के द्वारा Construction of BT Road Mahava to Nake Wala Balaji in dokan P.F village-Mahava range patan Tehsil-Neenkathana, district-sikar स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य महावा से नाके वाला बालाजी तक बीटी रोड के निर्माण कार्य हेतु सड़क सीमा आने वाली सड़क वन क्षेत्र में आने वाली भूमि सड़क निर्माण कार्य में आ रही वन विभाग की भूमि ग्राम महावा पटवार हल्का महावा के खसरा नं. पुराना 2242 व 2243 व नया 934 व 935 के रकबा 117.45 हे० में से 1.1880 हेक्टेयर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/405588/2022 दिनांक 20.12.2022 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 1.1880 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को पत्रावली प्रस्तुत की गई हैं। वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 मे वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व वन भूमि पर प्रारम्भिक कृषक समुदायों के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(4) अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर के द्वारा Construction of Missing Link BT Road From Nyorana to Kesar Ki Dhani In Forest Block Patan P.F. & Dokan P.F. Range-Patan, Village-Patan & Dokan, Tehsil-Patan, District-Sikar (Raj.) स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य न्योराना से केशर की ढाणी तक बीटी रोड के निर्माण कार्य हेतु सड़क सीमा आने वाली सड़क वन क्षेत्र में आने वाली भूमि सड़क निर्माण कार्य में आ रही वन विभाग की भूमि ग्राम पाटन पटवार हल्का पाटन के खसरा नं. 16, 19, 62 व 934 के रकबा 39.07 हे० में से 1.5360 हेक्टेयर तहसील पाटन जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/409236/2022 दिनांक 04.12.2022 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 1.5360 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को पत्रावली प्रस्तुत की गई हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व वन भूमि पर प्रारम्भिक कृषक समुदायों के हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(5) अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड नीमकाथाना जिला सीकर के द्वारा Construction of Road Athbigha to Pipli ki Dhani, Sundardas ji, up to Salwadi (khandela) In Salwadi P.F, Village -Salwadi, Tehsil -Khandela, Range - Shri Madhopur, District-Sikar (Raj.) स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य सालवाडी से अठबीघा तक बीटी रोड के निर्माण कार्य हेतु सड़क सीमा आने वाली सड़क वन क्षेत्र में आने वाली भूमि सड़क निर्माण कार्य में आ रही वन विभाग की भूमि ग्राम सालवाडी पटवार ढाणी गुमान सिंह के खसरा नं. 1024, 1025, 1045, 1046, 1050, 256, 257, 261 262, 271, 273, 276, 280, 763, के रकबा 22.52 हे० में से 0.9810 हेक्टेयर तहसील खण्डेला जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/411184 /2022 दिनांक 17.12.2022 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 0.9810 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को पत्रावली प्रस्तुत की गई हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं व नही हित प्रभावित नहीं होते हैं।

(6) श्री कंचन कुमार चौधरी, वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-II अलीगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड (ए.आइ.सी. इन्व्हेस्टमेंट्स लिमिटेड) द्वारा "Construction of 765 KV D/C Sikar-II Aligarh Transmission Line, DISTRICT-Sikar, Jaipur and

Sudhanshu Arora
मध्य प्रबंधक (नि.प.क.) / Regional Manager (Retail Sales)
इण्डियन ऑयल लिमिटेड (पि.प्र.)
India Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम तहसील एल.आइ.सी. इन्व्हेस्टमेंट्स बिल्डिंग, फेस-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

Alwar (Rajasthan) IN RAJASTHAN PORTION AP-01 TO AP-180 Common POINT Rajasthan State Boundary के लिये खसरा नं. 4991/3025, 4932/3024, 5131/3023, व 2763 ग्राम बघाला की ढाणी तहसील दातारामगढ जिला सीकर क्षेत्रफल 0.2278 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जिसका वरिष्ठ महा प्रबंधक, सीकर-11 अलीगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100: सबसिडियरी पावरग्रिड) अलवर के द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सीकर-11 अलीगढ ट्रांसमिशन लिमिटेड (100: सबसिडियरी पावरग्रिड) के मध्य आने वाली रक्षित वन भूमि की भूमि के सड़क निर्माण कार्य में आ रही ग्राम बघाला की ढाणी के राजस्व ग्राम बघाला की ढाणी की वन भूमि क्षेत्रफल व खसरा नं. 4991/3025, 4932/3024, 5131/3023, व 2763 कुल रकबा 5.918 में से 0.2278 हैं0 वन भूमि के राजस्व ग्राम बघाला की ढाणी तहसील दातारामगढ जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/144853/2021 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 0.2278 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को प्रस्तुत की गई है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नही व नही हित प्रभावित नही होते हैं।

(7) प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरा) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर के द्वारा "Construction of Approach ACCESS For Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatehpur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52 LHS) At Chainage NO-409 + 072.70 TO 409+107.70 ON OLD Khasara NO. 42 & NEW KHASRA NO.313/312, AT VILAGE-ROHAL, TEHSIL- RAMGARH SHEKHAWATI, DISTRICT- SIKAR" जिसका प्रादेशिक प्रबंधक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित पेट्रोल पम्प व सड़क के मध्य आने वाली वन क्षेत्र की भूमि के सड़क निर्माण कार्य में आ रही ग्राम रोहल के राजस्व ग्राम रोहल की वन भूमि क्षेत्रफल व खसरा नं. 47 कुल रकबा 5.5600 में से 0.1695 हैं0 वन भूमि के राजस्व ग्राम रोहल तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की बेवसाईट पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Approach/156636/2022 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण-पत्र (FRA Certificate) जारी करने के संबंध डायवर्जन वन भूमि 0.1695 हेक्टेयर का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली हेतु पत्रावली श्रीमान जिला कलक्टर महोदय सीकर को प्रस्तुत की गई है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नही व नही हित प्रभावित नही होते हैं। ऐसी स्थिति में भूमि प्रत्यावर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाता है।

Mehendra Prasad
 (महेन्द्र प्रसाद)
 जिला परिषद सदस्य
 जिला परिषद, सीकर

Veena Dama
 (वीना दमा)
 जिला परिषद सदस्य
 जिला परिषद, सीकर

Satish Kumar
 (सतोष कुमार)
 जिला परिषद सदस्य
 जिला परिषद, सीकर

M. S. Singh
 (भवानी सिंह)
 उप वन संरक्षक
 सीकर

Rakesh Kumar
 (राकेश कुमार)
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 जिला परिषद सीकर

Dr. Amit Yadav
 (डॉ. अमित यादव)
 जिला कलक्टर
 सीकर

Sudhanshu Arora
 (सुधांशु अरोड़ा)
 मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Sales)
 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
 Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
 जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
 प्रथम तल, एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेस-11
 First Floor, LIC Investment Building, Phase-11
 आनंदपुर बाजार के पास भवानी सिंग रोड, जयपुर-302005
 Near Anandpur Bazar, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

कार्यालय पंचायत समिति पिपराली जिला सीकर (राज.)

क्रमांक :- 622

श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी,
जिला परिषद, सीकर।

दिनांक :- 2.3.2023


विषय:- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत एफआरए के संबंध में ग्राम पंचायत मलकेडा की ग्राम सभा की कार्यवाही रिपोर्ट एफआरए के संबंध में भिजवाने बाबत।

प्रसंग :- आपके कार्यालय के पत्रांक जिपसी/ निर्माण/ डायवर्जन/2023/2879 दिनांक 13.01.2023 के सन्दर्भ में।

महोदया

उपरोक्त विषयान्तर्गत व प्रारम्भिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि आपके निर्देशों की पालना में ग्राम पंचायत मलकेडा के सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी को निर्देशित किये जाने पर ग्राम पंचायत मलकेडा द्वारा ग्राम सभा दिनांक 26.01.2023 के प्रस्ताव संख्या 1 द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन कर अदेय प्रमाण पत्र जारी किया गया जो मूल ही इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है। प्रकरण का विवरण इस प्रकार है। कि श्री जितेन्द्र कुमार वरिष्ठ प्रबन्धक इण्डियन ऑयल लिमिटेड जयपुर के द्वारा "Construction of APPROACH ACCESS FOR INDIAN OIL CORPORATION LIMITED RETAIL OUTLET, KM STONE 338 TO KM STONE 341 CHAINAGE NO. 338+923 TO 338+958 ON NH-52 (OLD NH-11) RHS WHILE GOING FROM JAIPUR TO BIKANER IN NEW KHASARA NO. 540/157 & 632/544 (OLD KHASARA NO. 544/17 AND 546/157) RAJASTHAN AT VILLAGE - MALKEDA TEHSIL AND DISTRICT SIKAR (RAJASTHAN)" जिसका वरिष्ठ प्रबन्धक इण्डियन ऑयल लिमिटेड जयपुर के द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। पेट्रोल पम्प व सड़क के मध्य आने वाली रक्षित वन भूमि की भूमि के सड़क निर्माण कार्य में आ रही ग्राम मलकेडा की वन भूमि खसरा नं. 212 व रकबा 4.84 हेक्टेयर व खसरा नं. 545/157 रकबा 0.0546 व कुल रकबा 4.8976 मे से 0.1649 हे. वन भूमि के राजस्व ग्राम मलकेडा तहसील व जिला-- सीकर के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर प्रस्ताव संख्या: Ep Kj APPROACH/148278/ 2021 के द्वारा आवेदन किया गया है। जिसके लिये अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वनाधिकार प्रमाण पत्र (एफआरए) जारी करने के संबंध में डायवर्जन वन भूमि 0.1649 हे. का प्रत्यावर्तन डायवर्जन पत्रावली श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय सीकर को प्रस्तुत की गई है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कोई दावा लम्बित नहीं है। व किसी का हित प्रभावित नहीं होने का प्रमाण पत्र वनाधिकार प्रमाण पत्र जारी करने हेतु ग्राम पंचायत मलकेडा की ग्राम सभा में अनुमोदन कर अदेय प्रमाण-पत्र जारी किया गया जो इस पत्र के साथ संलग्न सादर प्रेषित है।

संलग्न :- ग्राम पंचायत द्वारा जारी अदेय प्रमाण पत्र व ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण।


विकास अधिकारी
पंचायत समिति पिपराली

(सुधांशु अरोड़ा Sudhanshu Arora)
मुख्य प्रबन्धक इण्डियन ऑयल लिमिटेड (Retail Sales)
इण्डियन ऑयल लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर महानगर कार्यालय Regional Office
पेट्रोल पम्प एवं रिटेल वन निवासी प्रमाण पत्र, फेस-II
First Floor, Regional Office Building Phase-II
अम्बेडकर सर्कल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

कार्यालय ग्राम पंचायत मलकेड़ा

पंचायत समिति, पिपराली (सीकर - राज.)

5

क्रमांक : 8/2023


दिनांक 02/03/2023

श्रीमान विकास अधिकारी महो
पंचायत पिपराली
तहसील सीकर (राज.)

विषय :- अर्देस प्रदाय पत्र के सम्बन्ध में
सर्वर :- आपका पंजाब 556/दिना 17/1/2023 के क्रम में :-

सबोधन :- उपरोक्त विषयान्वर्ति निवेदन है कि ग्राम पंचायत मलकेड़ा की ग्राम सभा दि-
26-1-2023 के प्रस्ताव एण्ड द्वारा चर्चा की गई जिसमें आपका पंजाब 556/17-1-23
के सम्बन्ध में अर्देसता प्रदाय पत्र मांगा गया जिस पर ग्राम सभा में चर्चा की गई कि अनुसूचित
जन जाति और अन्य परम्परागत निवासी (बनाधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत
FRA के सम्बन्ध में पंचायत में विस्तृत रूप से विचार विमर्श कर निर्वासन किया गया कि श्री-
जितेन्द्र कुमार वरिष्ठ लकड़ उद्योग भारत लिमिटेड जयपुर के द्वारा construction
of Approach Access for indian oil corporation Limited Retail outlet
KM stone 338 + KM stone 341 chainage no 338 + 923 to 338 + 958 on NH52
(old NH11) RHS while coming from Jaipur to Bikaner in New Khasra
NO 546/157 and 632/544 ग्राम मलकेड़ा तहसील सीकर राज. में निर्माण प्रस्तावित है।
निर्माण लकड़ कार्म में वन क्षेत्र की शर्तों के ख.नं 212 रकबा 4.94 हे० एवं 545/157
रकबा 0.054 हे० रकबा 4.9948 में से 0.1649 हे० वन प्रार्थी वन एवं जलवायु
परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के प्रस्ताव एण्ड F.P/R5/A PPRDACH/148278/2023
के द्वारा आवेदन किया है इसके लिए अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सर्वेक्षण प्रार्थी
0.1649 हे० प्रस्तावित सर्वेक्षण हेतु आवेदन किया है। अतः अधिनियम 2006 एवं 2008
के अन्तर्गत वर्णित कोई भी अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन
निवासी का कोई दावा लागू नहीं होगा किसी का हित प्रभावित नहीं होगा।
अतः ग्राम पंचायत मलकेड़ा की ग्राम सभा दिनांक

26-1-2023 के प्रस्ताव एण्ड द्वारा सर्वसहमति से अर्देस प्रदाय पत्र जारी कर
प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है।


संजना सिंह
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत मलकेड़ा
तहसील सीकर (राज.)

सुधंशु अरोड़ा
ग्राम पंचायत मलकेड़ा
पंचायत समिति पिपराली (सीकर)
सुधंशु अरोड़ा / Sudhanshu Arora
मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल्स) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मॉडल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्लॉट नं. 10, एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेज-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

आमजमाय राबडीम ममम

र



अपुन

अनितादेवी

पवन कुमार

प्रेम

धन्नी

प्रजा देवी



मोहिकारदा

मन्जर

सुर्देवराजसिंह

सुनिता

पिकी ककर



अमरकाश

विक्रमसिंह

मोहिका ककर

निहा ककर

चम्पादेवी

विनाद

नाथूराम

आमप्रकाश

जयकाशसिंह

धारणी

(सुधांशु अरोरा / Sudhanstuv Arora)
मुख्य प्रबन्धक (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.O.)
जयपुर, जयपुर कार्यालय / Jaipur Divisional Office
अधम ताल, एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेस-II
1st Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, बहावनी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

किशोर
वर्मा

वर्मा

वर्मा

वर्मा

वर्मा

वर्मा

वर्मा

वर्मा

वर्मा

वर्मा

वर्मा

वर्मा

वर्मा

वर्मा

वर्मा

वर्मा

वर्मा

वर्मा

वर्मा

वर्मा

वर्मा

वर्मा

वर्मा

(सहकारी) Sudhanshu Arora
मुख्य प्रबंधक (रेटेलिंग) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (लि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur (Regional Office)
प्रथम तल, एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग फेज-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302008
Near Ambekar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302008

कुंवरजी

कुंवरजी

[Blot]

[Blot]

कुंवरजी

कुंवरजी

कुंवरजी

[Blot]

[Blot]

[Blot]

कुंवरजी

कुंवरजी

कुंवरजी

[Blot]

कुंवरजी

[Blot]

[Blot]

कुंवरजी

कुंवरजी

कुंवरजी

कुंवरजी

[Blot]

[Blot]

[Blot]

(सहायक) कुंवरजी
Sales Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम तल, एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेज-III
First Floor, LIC Investment Building, Phase-III
जयपुर-302005
Near Amberkar Circle, Bhawan Singh Road, Jaipur-302005

महारा

सोनी

अकषा

महारा

अकषा

महारा

अकषा

महारा

अकषा

महारा

अकषा

महारा

अकषा

महारा

अकषा

महारा

अकषा

महारा

अकषा

अकषा

महारा

अकषा

अकषा

महारा

अकषा

Sudhanshu Arora
Chief Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Limited (M.P.)
जयपुर मण्डल कार्यालय/Jaipur Divisional Office
प्रथम तल, एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग फेज-II
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302008
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302008

कोरम की रॉड होने के प्रचार सर्वप्रथम गल बँडक
कार्यालयी सदन में फलक लगाई गई जिसका सर्व प्रथम
से अनुमोदन किया गया एवं अद्यतन व्यवस्था की गई
से प्राणायी कार्यालयी निम्नानुसार लिखी गई -

पुर्वोक्त आज शाम समा में श्रीमान विकास अधिकारी को
विशाली के पत्रांक 556/17-1-23 के साक्ष्य में अद्यतन
प्रमाण पत्र मांगा गया जिस पर शाम समा में चर्चा की
कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित वर्गों के
निवासी (वनाधिकार की मामला) अधिनियम 2006
के अन्तर्गत FRA के साक्ष्य में शाम समा में विद्य
रूप से विचार विमर्श कर निर्माण किया गया कि
श्री जितेंद्र कुमार वरिष्ठ मुख्य अडिटर आयुक्त
लिमिटेड जमशेदपुर के द्वारा Construction of APPTOR
Access for indian oil corporation Limited
Retail outlet km 338 to km 341 chain
No 338+922 to 338+958 on NH52 (old NH 11) R.H.S
while going from JALPURA to BIKANEY in new
KHASARA no 545/157 व 632/544 समस्त Village and
तब. अंत उा H.A.R जिसका प्रकथन इतिहास आश्रित लिखित
जमशेदपुर के द्वारा निर्माण किया गया 1/1/2023 के निर्माण
सदर कार्य में वन क्षेत्र की प्राप्ति के लक्ष्य 0.212 एका
4.84 एका एवं 545/157 इका 0.0546 एका 4.8948 एका 0.0
ए. वन प्राप्ति वन एवं जलवायु परिवर्तन में जलवायु का समन्वय
के लक्ष्य 0.0 F.P./R.J./MPPY6ACH/148278/ 2023 के द्वारा
आवेदन किया है। जिसके लिए अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सर्व
प्राप्ति 0.1649 एका सर्वत्र इतिहास के अन्तर्गत किया है। अतः
प्राप्ति अधिनियम 2006 व 2009 के अन्तर्गत निर्माण को भी अनुसूचित
जनजाति और अनुसूचित वर्गों के निवासी का कोई भी अधिकार
नहीं है तथा किसी का हित प्रभावित नहीं है।

शाम समा निर्माण 26.1.2023

Chief Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
Regional Office
Phase-II
First Floor, Old Investment Building
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jhapa

से अडेन लगाना बंद कर दी गई। यह अडेन का अनुसूचित क्षेत्र था।

50202 सऊदी के उपनिवेश शासन को जल जीवन मिशन भारत सरकार की योजना को बेचने में सिला (इकट-सी) जल संचयन और सफाई के कक्षा कि अनुसूचित क्षेत्र को हर घर नल योजना जाकेगा हो परियोजना को कार्य जारी पर-जल रहा है जो PHED को बंद किया जा रहा है जो उपनिवेश शासन से निवेश है। अनुसूचित क्षेत्र मिशन योजना को सफल बनाने के लिए योजना के मंडल को लक्ष्य से सिला (इकट-सी) का समझौता जमा एवं अडवा 100 की अनुसूचित क्षेत्र को सर्व सफल के अनुसूचित क्षेत्र।

50203 सऊदी के स्वच्छ भारत मिशन पर नर्स अडेन अडवा को के सफल कि सफल के अनुसूचित क्षेत्र के सौभाग्य बनाने एवं आसानी अनुसूचित क्षेत्र सौभाग्य मिशन एवं गतिशील करने कार्य के सफल सफल को एवं अनुसूचित क्षेत्र के सफल सफल के सफल लोअरके सफल, इसके एवं आसानी सुते के सफल के सफल न ही सुते से सफल को अडवा 100 का सिला (इकट-सी) का सर्व सफल के अनुसूचित क्षेत्र। अडवा गतिशील सफल के सफल अनुसूचित क्षेत्र सफल से अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के सफल के सफल सिला (इकट-सी) किया गया।

सज्जन सिंह
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत मलकडा
रा. शा. गिरवासी

निर्देश अरोड़ा / Sudhakar Singh
मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Cell)
भारतीय तेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीएल)
Indian Oil Corporation Limited (I.O.C.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम तल, एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, कैम्पस के डा
First Floor, LIC Investment Building, Campus
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवान सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawan Singh Road, Jaipur-302005

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

ACCO
Ch
25/5/2023
बैठक
आ.आ.ए.
कार्यवाही

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिनियम की प्राथम्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय निगरानी समिति सीकर की बैठक दिनांक 23.05.2023 को प्रातः 11.00 बजे उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें निम्न सदस्यगण उपस्थित आये:-

- 1 सहायक निदेशक समाज कल्याण, जनजाति कल्याण अधिकारी सीकर
- 2 तहसीलदार सीकर
- 3 क्षेत्रीय वन अधिकारी सीकर
- 4 विकास अधिकारी प.स. पिपराली
- 5 श्रीमति निर्मला देवी पंचायत समिति सदस्य
- 6 श्रीमति मनभरी देवी पंचायत समिति सदस्य
- 7 श्री बाबूलाल पंचायत समिति सदस्य

बैठक में वन अधिकार अधिनियम 2006, अधिनियम 2008 में वर्णित उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा तय किये जाने वाले कार्यों पर चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में निम्नानुसार एजेन्डे पर विचार किया गया।

क्र. स.	प्रकरण का नाम	ग्राम का नाम व ख. न.	कुल रकबा	पेट्रोल पम्प के लिये एप्रोच रोड के निर्माण के लिये कुल रकबा	किस्म भूमि
01	पेट्रोल पम्प के लिये एप्रोच रोड के लिये 0.1649 हैक्ट. भूमि का डायवर्जन हेतु एफ.आर.ए. कार्यवाही।	मलकेडा ख. न. 212 व 545/157	4.84 हैक्ट. व 0.0546 हैक्ट.	0.1649 हैक्ट.	ख.न. 212 किस्म गै.मु.सडक ख.न. 545/157 किस्म बारानी 1

प्रस्तावित पेट्रोल पम्प व सडक के मध्य आने वाली वन क्षेत्र की भूमि गै.मु. सडक में से वन भूमि का डायवर्जन/प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत मलकेडा

Handwritten signature/initials

(सुधांशु अरोड़ा / Sudhanshu Arora)
मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जायपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
प्रथम तल, एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेस-11
First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवान सिंह रोड, जायपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawan Singh Road, Jaipur-302005

13

पंचायत समिति पिपराली के प्रस्ताव संख्या 08/2023 दिनांक 02.03.2023 से स्पष्ट है कि सम्बन्धित वन पट्टी क्षेत्र में कोई वन अधिकारों की मान्यता में वर्णित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों का कोई समूह या परिवार निवास नहीं करता है तथा ना ही ऐसे किसी समूह या परिवार का कोई दावा प्राप्त हुआ है। वर्तमान में भी ऐसे किसी परिवार का कोई दावा प्रस्तावित या लम्बित नहीं है। ग्राम पंचायत मलकेडा द्वारा उक्त वन पट्टी क्षेत्र पर किसी कब्जा नहीं होने व रहवास नहीं होने के सम्बन्ध में अदेय प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। बैठक में तहसीलदार सीकर की रिपोर्ट पत्र क्रमांक:- राजस्व/2023/345 दिनांक 04.04.2023 के अनुसार भूमि की किस्म गै.मु. सडक व बारानी 1 है जिसमें मौके पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी निवास करना नहीं पाया गया है। अतः वन भूमि प्रत्यावर्तन में इस अधिनियम की कोई धारा प्रभावित नहीं होती है।

(जय कौशिक)

उपखण्ड अधिकारी सीकर
दिनांक:- 24 मई, 2023

क्रमांक:- राजस्व/डायवर्जन/2023/652-660

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, सीकर
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सीकर
3. सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सीकर
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सीकर
5. तहसीलदार, सीकर
6. विकास अधिकारी पंचायत समिति पिपराली
7. श्रीमति निर्मला देवी पंचायत समिति सदस्य पिपराली 9549798410
8. श्रीमति मनभरी देवी पंचायत समिति सदस्य पिपराली 9799685069
9. श्री बाबूलाल पंचायत समिति सदस्य पिपराली 9667404006

उपखण्ड अधिकारी सीकर

(सुधंशु अमरा) / Sudhanshu Amra
मुख्य निदेशक (विपणन) / Chief Retail Officer
भारतीय तेल निर्यात लिमिटेड (प. वि.)
Indian Oil Corporation Limited (P. O.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Division
प्रथम तल, एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग
First Floor, LIC Investment Building, Phase II
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अन्तर्गत आने वाले वन निवासी वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत उपखण्ड स्तरीय निगरानी समिति की बैठक दिनांक 23.05.2023 को प्रातः 11:00 बजे, इस मासालय में उपखण्ड स्तरीय अधिकारी की अध्यक्षता में की गई। निम्न विषय सदस्यगण उपस्थित थे।

1. जय काँचिक, उपखण्ड अधिकारी, साकर नं. 1
2. श्रीम सिह मादव, क्षेत्रीय वन अधिकारी
3. सुरेश पारीक, विकास अधिकारी प.स. सदस्य
4. अम्मी लाल मीणा, तहसीलदार, सीकर
5. श्रीम प्रकाश राहुत, सहायक निदेशक, सो. सं. वि.
6. श्रीमति मनमरी देवी, प.स. सदस्य
7. श्री बाबूलाल, प.स. सदस्य
8. श्रीमति निर्मला देवी, प.स. सदस्य

इस बैठक में वन अधिकार अधिनियम

2006 एवं 2008 में वर्णित उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा तय दिग्गज आने वाले कार्यों पर चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया। राज्य स्तर पर मालिकों में पेट्रोल पम्प एवं सड़क के मध्य आने वाली वन हानि को दूर करने के लिए सड़क निर्माण कार्य में आ रही मालिकों के ख.न. 212 रकबा प. 84 हैक्टर व ख.न. 545/157 रकबा 0.0546 हैक्टर में से 0.1649 हैक्टर भूमिका F.R.A. प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।

तहसीलदार सीकर की रिपोर्ट प्रमाण: - राज्यस्व/

2023/345 दिनांक 04.04.2023 के अनुसार राज्यस्व नाम मालिकों के ख.न. 212 रकबा प. 84 हैक्टर भूमिका नं. 1910 के नाम दर्ज है एवं ख.न. 545/157 रकबा 0.0546 हैक्टर भूमिका नं. 1910 के नाम दर्ज है। ख.न. 546/157 में रकबा 0.1140 हैक्टर में पेट्रोल पम्प प्रस्तावित है।

प्रादेशिक प्रबन्धक (खुदरा) इण्डियन ऑयल

कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर के द्वारा जयपुर सेक्टर रोड नं. 152 (ख.न. 11) पर नाम मालिकों के ख.न. 546/157 में पेट्रोल पम्प का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

सुधंशु अरोड़ा / Sudhanshu Arora
मुख्य प्रबन्धक (खुदरा) / Chief Manager (Small Sales)
इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पि.प्र.)
Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Divisional Office
पहला तल - एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेज-II
पहला तल - एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग, फेज-II
अरिबेदार सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Arbedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

पुस्तक वस्तु के अन्तर्गत में नाम पचायत मलमेजा द्वारा
पुस्तक संख्या 08/2023 दिनांक 08/08/2023
को स्पष्ट है कि सम्बन्धित वस्तु परीक्षा में कोई अनुसूचित
की मान्यता में शक्ति अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत
वन निवासियों का परिवार नहीं रहता है तथा वे भी वे के रिश्ते
समूह परिवार का दावा प्राप्त हुआ है। वस्तु परीक्षा में परीक्षा
परिवार का कोई दावा संलग्नित नहीं किया गया है।

श्रीम पचायत मलमेजा द्वारा उक्त वस्तु परीक्षा में
पर डिप्टी का कब्जा नहीं होने व रहवास नहीं होने के कारण
में 'अद्वैत उभाग - पत्र जारी किया जाता है।

[Handwritten signature]

✓

[Handwritten signature]

श्रीमान्
श्रीमती वस्तु निवासिनी
वसुदेव

श्रीमती लाल मेधावाल
निर्मलादेवी

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(सुधांशु अरोड़ा / Sudhanshu Arora)
मुख्य प्रबंधक (रिटर्न मैनेजर) / Chief Manager (Ret.)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
Indian Oil Corporation Limited
जयपुर मण्डल कार्यालय / Jaipur Division
प्रथम तल, एल.आई.सी. इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग
First Floor, LIC Investment Building
अम्बेडकर सर्किल के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005
Near Ambedkar Circle, Bhawani Singh Road, Jaipur-302005

कर दिया। मारपीट में घायल नेतराम ने बताया कि प्लॉट के लेकर पिछले काफी समय से उनका प्रहलाद के परिवार से विवाद चल रहा है। जिस पर कई बार वह अपने विवाद को बैठकर गांव के मौजिल लोगों के बीच सुलझाते को लेकर कह चुका है। लेकिन वह लोग मामला को तैयार नहीं है तथा झगड़ा करने में तैयार हैं।

समक्ष आयतें की

पर जैनरिक दवाईयों के स्थान पर बाजार की दवाईयां लिखने, लपकों के सक्रिय होने की शिकायत करते हुए सोनोग्राफी चिकित्सक लगाने की मांग की। जिस पर कलेक्टर ने पीएमओ डॉ. सुरेश चन्द्र कालानी को सम्बंधित चिकित्सक से जवाब मांगने तथा उचित कार्यवाही करने के साथ ही लपकों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए तथा सोनोग्राफी चिकित्सक की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया। इस दौरान पार्षद मनोज पारीक, पार्षद हरिओम खोड, प्रकाश भार्गव, सुमित्रा सैन, हिमांशु भाटी, दारासिंह भाटी, रविन्द्र, प्रकाश भार्गव, महेश पारीक, हिमांशु भाटी, सुमित्रा सेन आदि मौजूद थे। बैठक में परिवारियों ने नगरपरिषद में पट्टे नहीं बनने तथा शहर में अवैध निर्माण कार्यों को लेकर शिकायतें की।

महेश जोशी ने अवैध रूप से कॉलोनी काट कर प्लॉटिंग करने तथा रेलवे बस स्टैंड के पास बिना अनुमति निर्मित हो रहे व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स की शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की। पार्षद हरिओम खोड ने लाईन पार के मौहल्लों में नियमित रूप से पेयजल सप्लाई नहीं होने की शिकायत की।

ने साहित्यकार सम्मान किया


गया। उ ओमप्रकाश तंवर ने सम्मान-पत्र का वाचन किया। इस अवसर पर मधुर स्पेशल स्कूल के दिव्यांग बालकों के साथ होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। चंग पर थाप और मुंघरुओं की छमछमाट के साथ जब कलाकारों द्वारा धमाल गाई गई तो सभागार में उपस्थित बुजुर्ग, जवान और बालक एक साथ खड़े होकर नाचने लगे। पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गुंजने लगा। तनुराम माहिच और घनश्याम शर्मा ने बालकों का स्वागत किया। डॉ. भीतीलाल सोनी, नर्सिंग इन्स्ट्र्यूट के अधीक्षक बजरंग हर्षवाल, हरिसिंह, सहनलाल कोरिया, जिला कारागार के डायर कैलाशसिंह शेरवाबु, रोगमित्री सोहन, रामसिंह चौका, वैजयाम जगिन्ह, सुधाकर नेहरा, नवतरुण भार्गव, ओमप्रकाश भार्गव, मोहन चतुर्वेदी, छानिलाल चौधरी आदि न चंग पर सानूहिक प्रस्तुतियां देकर मातावरण को संगीतमय बना दिया।

सांझ ईवनाद साखला में बताया कि प्लॉट के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट की घटना हुई है। जिसमें एक पक्ष की दो महिला व तीन पुरुष घायल हो गए हैं। जिनको उपचार के लिए भेजा गया है। अभी किसी भी तरफ से रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस की ओर से प्रभावित कार्यवाही की जाएगी।

विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

सादुलपुर, (निसं)। स्थानीय आशा देवी ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूशंस में गुरुवार को सड़क सुरक्षा यातायात नियम एवं विधिक साक्षरता शिविर कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्था निदेशक डॉ. कौशल पूनियां ने बताया कि यातायात नियम एवं विधिक साक्षरता शिविर कार्यशाला में मुख्य अतिथि सुभाष ढील सीआई राजगढ़, विशिष्ट अतिथि विनोद बेनीवाल सहायक अभियोजन अधिकारी राजगढ़, महेश नेहरा अभियोजन अधिकारी न्यायालय उपस्थित थे। वहीं विनोद बेनीवाल सहायक अभियोजन अधिकारी ने सड़क सुरक्षा यातायात नियम एवं विधिक साक्षरता पर प्रशिक्षणार्थियों को सम्बंधित करते हुए बताया कि चार पहिया वाहन वाले सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें, नशे की हालत में वाहन न चलायें, ओवर टेकिंग न करें धैर्य बनायें रखें तथा सड़क चित्रों का अनुपालन अवश्य करें।

नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों की स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



राजस्थान सरकार वन विभाग

जयपुर, विनाक.

क्रमांक: प. 1 (5) वन / 2023
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर।
विषय:- Diversion of 0.1649 ha. for Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet KM Stone 338 to KM Stone 341 Chaigno No. - 338-923 on NH-52 (old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546 / 157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District - Sikar (Rajasthan) (Proposal No. FPI/RJ/Approch/148278/2021)
 सन्दर्भ आदेश क्रमांक एच. 14 546/157/2023 / एक ही एच/अनुपद 546/157 दिनांक 13.01.2023, मद्रोपक उपरोक्त विषयगत संदर्भित प्रस्ताव के अन्तर्गत अतिरिक्त कोषीय भूमि जिनके द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 के अन्तर्गत प्रायः गलत रूप से, गहरी ली सीक रिलिज करके के नये खसरा नम्बर 546/157 एवं 632/544 (पुराना खसरा 544/157 एवं 546/157) के 341 Chaigno No. - 338-923 on NH-52 (old NH-11) हैं। हेतु प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एच निकाल हेतु 0.1649 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोटल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारों पराना प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के परिषेक्ष्य में Diversion of 0.1649 ha. for Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet KM Stone 338 to KM Stone 341 Chaigno No. - 338-923 on NH-52 (old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner in New Khasra No. 546 / 157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District - Sikar (Rajasthan) (Proposal No. FPI/RJ/Approch/148278/2021 की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष का पतन सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती है - 1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. प्रत्येक वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। 3. यात्रक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्थितियों एवं जीव जन्तुओं की किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपचार किये जावेंगे। 4. प्रस्तावित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्ष वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं छाटा जावे। वृक्ष छेदन में रोपित पेड़ परिवर्तन होने पर, वन विभाग के होंगे। 5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। 6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आदि की जायेगी, तालिफि करवती बनों को क्षति न हो। 7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/वन निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरणे का कार्य नहीं किया जावेगा। 8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रखत पड़े स्थानीय पर टैगर्ड लगाकर तथा दो नो भार्गो के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट कड़ी दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा। 9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एक आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदुपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। 10. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनुमति प्रस्तुत करावेगा। 11. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। 12. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शुल्क से 10 वृक्षों का पतन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पतन होने पर पतन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 से अधिक वृक्ष रख रखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दफ्तों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सूचित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी। 13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटोरान (सिडिल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एच.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 06.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी विधियां प्रतिपूर्ति पीधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सूचित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मन्वहार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तब परांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा। 14. प्रयोक्ता अभिकरण इस आदेश का बचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ती हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी। 15. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रयोग संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। 16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एच.सी. दिनांक 24.07.2013 से माननीय प्रीन डिप्युल्ट द्वारा दिनांक 7.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जाये तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को जारी एनईसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक सप्ताह पत्र में अक्षर-प्रकाशित करके एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय, (मोनाली सेन), विशिष्ट अधिकारी

कार्यालय नगर पालिका मण्डल नोखा (बीकानेर)

क्रमांक:न.पा.नो./स्कन्ध/2022-23/19622 दिनांक:2/3/2023

-:अल्पकालीन निविदा सूचना:-

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर पालिका नोखा द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सामग्री सप्लाई हेतु उपयुक्त फर्मों/अधिकृत विक्रेताओं से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक फर्म/संवेदक निविदा प्रपत्र, धरोहर राशि एवं शुल्क जमा कराकर दिनांक 13/3/23को दोपहर 1.00बजे तक प्राप्त कर उसी दिन दोपहर 3.00बजे तक जमा करवाये जा सकते हैं। जो प्राप्त निविदायें दिनांक 13/3/23 को सांय 4.00बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकृत नहीं की जावेगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने के अधिकार नगर पालिका में निहित है। शेष शर्तें एवं विवरण वेबपोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in एवं किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय में देखी जा सकती है।

क्र.सं.	कार्यका नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क
1.	factory Made interlocking c.c.Paver Block M-30 Grade, 80MM Thick	04.99	9980	500
2.	Cement OPC	04.99	9980	500
3.	Coarse Sand	04.99	9980	500
4.	Stone Aggregate (Single Size):40MM Nominal Size	04.97	9940	500
5.	Fine Sand	04.50	9000	500

(मारायण जंवर)
अध्यक्ष
नगरपालिका, नोखा

(सिंघाणु अरोरा) (Sanjhu Arora)
 मुख्य प्रबंधक (मुख्य) (Chief Manager) (Retail Sales)
 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वि.प्र.)
 Indian Oil Corporation Limited (M.D.)
 जयपुर मण्डल कार्यालय (Jaipur)
 प्रथम तल (First Floor)
 जयपुर मण्डल कार्यालय (Jaipur)
 First Floor, LIC Investment Building, Phase-II,
 जयपुर (Jai) (Jai)
 Near Arambdar Circle, Bhuwani Singh Road, Jaipur-302005.

GLOBAL CONCLAVE

JAIPUR: Rajasthan chief minister Ashok Gehlot has approved the International Rajasthanani Conclave to be held in the state on September 23 and 24, people in the know of the matter said on Thursday.

Gehlot has also approved the proposal for an additional budget provision of ₹5 crore for this event, which will be under the aegis of the international department of the Rajasthanani Foundation, said the Rajasthanani Conclave. Earlier, the Rajasthanani Conclave announced the budget for the state, with the aim of sending the budget to the Rajasthanani Conclave.

Gehlot has also approved the proposal for an additional budget provision of ₹5 crore for this event, which will be under the aegis of the international department of the Rajasthanani Foundation, said the Rajasthanani Conclave.

HT Classifieds

EDUCATION

ADMISSIONS

CHRISTIAN MEDICAL COLLEGE

VELLORE, TN - 632 002 Email: registrar@cmcvellore.ac.in

ADMISSIONS NOTICE 2023
Group A: MBBS, B.Sc., Nursing - Vellore campus, B.Sc., Nursing - Chittoor campus and Allied Health Sciences (AHS) Degree Courses

Group B: Diploma in Nursing, AHS Diploma Courses, AHS PG Diploma courses, MSc Bioethics, Biostatistics, Medical Physics, Epidemiology, Clinical Nutrition & Nuclear Medicine Technology, MPH (Master of Public Health), MHA (Master of Hospital Administration), MPT (Master of Physiotherapy), Fellowships in Antimicrobial Stewardship for Clinical Pharmacists, Hospital Quality Management (FHQM) & Hospital Chaplaincy.

Certificate courses & Post-Doctoral Fellowship Courses

M.S. Bioengineering Course
 The last date for online application submission for Group A & B and MS Bioengineering courses with payment is 3rd April 2023 and Certificate & PGF courses is 5th April 2023.

For more details refer Admission Bulletins available at CMC, Vellore website <http://admissions.cmcvellore.ac.in>

Important Information: The admission process contained in the Bulletins shall be subject to any order that maybe passed by the Hon'ble Supreme Court / High Court / any other statutory enactments that maybe passed by the Central or State Government.

COLLEGE OF NURSING

VELLORE, TN - 632 004 Email: registrar@cmcvellore.ac.in

M.Sc., Post Basic B.Sc., Post Basic Diploma and Fellowship in Nursing Programmes Admissions: 2023 - 2024

Application form can be accessed & submitted only online through the College website till 3rd April 2023

Please refer to Admission Bulletin (available at our website) for Course details, eligibility criteria etc. **REGISTRAR**

PUBLIC NOTICE

The General Public are CAUTIONED not to be misled by any person offering admission to any of the courses conducted by CMC Vellore. The college will not be responsible for any candidates or parents dealing with such person / persons (Arora).

PLEASE NOTE: WE DO NOT ADMIT STUDENTS THROUGH AGENTS OR AGENCIES.

CMC VELLORE ADMISSIONS
 प्रथम तल, एल.आई. रोड, फेज-11
 First Floor, LIC Investment Building, Phase-II
 एम्बेडकर सँकलित के पास, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005

No. FPR/J/Approach/156636/2022

संदर्भ: आयका पत्रांक एक 14 (535/46/2022/एफसीए/प्रमवस/4439 दिनांक 10.01.2023 उपरोक्त विषयानुसार संदर्भित प्रस्ताव में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 के अन्तर्गत ग्राम रोहल, वहीसील रामगढ़ रोहायदी जिला सीकर के पुराना चसरा नम्बर 42 एवं नये चसरा नं. 513/512 NH-11 (New NH-52, LHS), At (Chainage No. - 409-072.70 to 409 107.70) हेतु प्रस्तावित पेद्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.1695 हेक्टर वन भूमि प्रस्तावित की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव व विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1695 ha. for Construction of Approach Access for Proposed Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Fatepur to Bikaner Road NH-11 (New NH-52, LHS), At Chainage No. - 409-072.70 to 409 107.70 on Old Khasra No. 42 & New Khasra No. 313/312. At Village - Rohel Tehsil - Ramgarh Shekhawati. District - Sikar (Rajasthan) (Proposal No. FPR/J/Approach/156636/2022) की सैद्धांतिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पालन सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती है:- 1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। 3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं की किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे। 4. प्रस्तावित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जाये। 5. प्रस्तावित क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे। 5. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा। 6. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। 7. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा। 8. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेद्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्ता पड़े स्थानों पर द्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा। 9. प्रयोक्ता अधिकरण, सैद्धांतिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करायेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। 10. प्रयोक्ता अधिकरण, सैद्धांतिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करायेगा। 11. प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू, सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। 12. प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पालन हाने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पालन होने पर पालन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी। 13. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पीटोरान (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शून्य वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शून्य वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौरारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकास के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा कराया जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छपाय प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मन्वार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। 14. प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी.की दरों में बढ़ोतरी होती है तो वही हुई वन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी। 15. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबंधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। 16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन टिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जाये तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित कराये एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय, (भानोला सेन), दिशाधिकारी

शान्त्वती संस्कार वन विभाग
 जयपुर, दिनांक-

संदर्भ: आयका पत्रांक एक 14 (535/47/2021/एफसीए/प्रमवस/4488 दिनांक 13.01.2023, मधोव, उपरोक्त विषयानुसार संदर्भित प्रस्ताव में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 के अन्तर्गत ग्राम मालखेडा, तहसील सीकर जिला सीकर के नये चसरा नम्बर 548/157 एवं 632/544 (पुराना चसरा 544/157 एवं 546/157) के 341 Chainage No. - 338-923 to 338-958 on NH- 52(Old NH-11) हेतु प्रस्तावित पेद्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.1649 हेक्टर वन भूमि प्रस्तावित की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव व विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1649 ha. for Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338-923 to 338-958 on NH- 52(Old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner, In New Khasra No. 546 / 157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District - Sikar (Rajasthan). (Proposal No. FPR/J/Approach/148278/2021)

संदर्भ: आयका पत्रांक एक 14 (535/47/2021/एफसीए/प्रमवस/4488 दिनांक 13.01.2023, मधोव, उपरोक्त विषयानुसार संदर्भित प्रस्ताव में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 के अन्तर्गत ग्राम मालखेडा, तहसील सीकर जिला सीकर के नये चसरा नम्बर 548/157 एवं 632/544 (पुराना चसरा 544/157 एवं 546/157) के 341 Chainage No. - 338-923 to 338-958 on NH- 52(Old NH-11) हेतु प्रस्तावित पेद्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.1649 हेक्टर वन भूमि प्रस्तावित की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव व विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1649 ha. for Construction of Approach Access for Indian Oil Corporation Limited Retail Outlet KM Stone 338 to KM Stone 341 Chainage No. - 338-923 to 338-958 on NH- 52(Old NH-11) RHS: While Going From Jaipur to Bikaner, In New Khasra No. 546 / 157 & 632/544 (Old Khasra 544/157 & 546/157) At Village-Malkeda, Tehsil & District - Sikar (Rajasthan). (Proposal No. FPR/J/Approach/148278/2021) की सैद्धांतिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पालन सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती है:- 1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। 3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं की किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जायेंगे। 4. प्रस्तावित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जाये। 5. प्रस्तावित क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगे। 5. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ के रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। 7. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा। 8. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेद्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्ता पड़े स्थानों पर द्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा। 9. प्रयोक्ता अधिकरण, सैद्धांतिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करायेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। 10. प्रयोक्ता अधिकरण, सैद्धांतिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करायेगा। 11. प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू, सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। 12. प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पालन हाने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पालन होने पर पालन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी। 13. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पीटोरान (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शून्य वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शून्य वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौरारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकास के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा कराया जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छपाय प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मन्वार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। 14. प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी.की दरों में बढ़ोतरी होती है तो वही हुई वन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी। 15. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबंधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। 16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन टिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जाये तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित कराये एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय, (भानोला सेन), दिशाधिकारी

...court said...
 ...affidavit explain-
 ...General to
 ...as per the list sub-
 ...the respective Bar
 ...presidents and
 ...to issue notices to
 ...circumstances, we
 ...regarding ending
 ...no decision
 ...for the meeting
 ...of the conven-
 ...the general body
 ...committee were
 ...five conveners of
 ...Singh Sandhu
 ...council, vice chair-
 ...e works. On behalf
 ...ate steps to end the
 ...the Bar Council of
 ...aces strike.
 ...have discussed the
 ...that the co-
 ...Strivastava and the
 ...of acting chief
 ...Singh told the
 ...ia (BC) chairman
 ...the hearing, the Bar
 ...e strike of the advo-
 ...Court, according
 ...Haresh Uppal case
 ...discussed the deci-
 ...advo-
 ...MS Singhy on Feb-
 ...of advo-
 ...the high court has
 ...Act, Taking cogni-
 ...of the Advocates
 ...ve been boycotting
 ...advocates across
 ...in Jodhpur on
 ...broad daylight mur-
 ...personal affidavits
 ...and directed
 ...of all the concerned
 ...triers, presidents a
 ...issued notices fo
 ...high court
 ...by the state advo-
 ...undred boycott of jud-
 ...Taking serious note
 ...stantines.com
 ...tra
 ...BOYCOTT
 ...NOTICE TO
 ...SH COURT
 ...SOCIATIONS
 ...MARCH 10, 2023
 ...FRIDAY
 ...NEW DELHI